

तारीख हुक्म ५-५-२५

पत्रावली पेश हुई। बकुलब रमय
कारण उपस्थित। पीठस्थीन अधिकारी
अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में
है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक ५-५-२५ को पेश हो।

Signature

५-५-२५ पत्रावली पेश हुई। बकुलब रमय
कारण उपस्थित। पीठस्थीन अधिकारी
अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में
है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक ५-५-२५ को पेश हो।

०७-०५-२५ वकील प्रार्थीगण उपण अफ़ाखी
लामील जरिरे रीगरेड्डे अऊसे डे पुकेही
वाकपूड वामील घाजिर अहलख नडे अऊसे
अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमा
में लाई जाती है। वाकसे बहस पत्रावली
२८-०५-२०२५ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

२८-०५-२५ पत्रावली पेश हुई। बकुलब रमय
कारण उपस्थित। पीठस्थीन अधिकारी
अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में
है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक ०७-०५-२५ को पेश हो।

Signature

07.05.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण

उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ

निषधाजा व इससे सम्बन्धित मूल वादपत्र में दिनांक 07.04.2025


प्रतिवादीगण /अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमा



बनवावी
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

वादापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक - 40/2024

लाई जा चुकी है। मूल वादपत्र व इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादीगण/अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.05.2024 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)